न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 13.02.2023

प्रा0पत्र संख्या 09/2023

1. जगदीश पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी ग्राम एवं तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
2. शेषकंवर पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी ग्राम एवं तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
3. रामगोपाल पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी ग्राम एवं तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
4. बबलू पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी ग्राम एवं तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
5. हनुमान पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी ग्राम एवं तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील खण्डार

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

(1) श्री गोविन्द प्रसाद मथुरिया एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से
(2) राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक 24.07.2023

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल संख्या 176/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 358/10 रकवा 7.00 बीघा किस्म गै.मु.चरागाह पर जिन्स कब्जा 2.00 बीघा, मकान व बाड 2.00 बीघा, सिंघाडा 3.00 बीघा पर संवत 2079 मे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय रूयेदाद, मिसल व कानून के विरूद्व हाने से लायके निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार के आराजी ख0नं0 358/2010 रकबा 7 बीघा किस्म गै0मु0चारागाह पर जिन्स जोतकर मकान बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह के सिविल कारावास तथा बेदखली से दण्डित किया है, उक्त निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं साक्ष्यों में तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकमात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया अपीलान्ट को हल्का पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। चुनौतीग्रस्त निर्णय में अपीलान्ट को बावजूद नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहना बताया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा व जवाब पेश किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर न तो अपीलान्ट का जवाब रिकॉर्ड पर लिया और ना ही अपीलान्ट का पक्ष सुना। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा कार्यवाही की है अपीलान्ट स्वसं के बुजुर्गान की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0नं0 11 पर काबिज है एवं इससे लगती हुई भूमि पर अपीलान्ट का बेजमाने बुजुर्गान कब्जा चला आ रहा है उक्त आराजी को लेकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है जो आज भी अस्तित्व में है। अपील विचाराधीन है पटवारी हल्का की बिना कब्जा मौका की जांच किये बनाई गई निराधार व असत्य रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिकर्मी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है न ही पूर्व में पारित बेदखली है तथा पूर्व में पारित भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर नहीं लिये हैं। इस कारण भी अपीलान्ट को गलत रूप से पश्चात्वर्ती अतिकर्मी माना है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित प्रोसडिंग भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को बिना सुने व मौके स्थिति की वास्तविक निरीक्षण किये बिना व अपीलान्ट द्वारा पेश जवाब को पत्रावली में रिकॉर्ड पर नहीं लेकर मनमाने तरीके से जो निर्णय किया है व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार का निर्णय दिनांक 12.12.2022 मुकदमा नम्बर 176/2022 को निरस्त फरमाया जावे ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। विद्वान पेरोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि गै0मु0 चरागाह है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थीगण को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थीगण में से एक अपीलार्थी शेषकंवर को तामील हुई है। अपीलार्थीगण में से एक अपीलार्थी रामकिशोर पुत्र सूरजमल कहार को छोड़कर शेष अपीलार्थीगण के आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2022 में अपीलार्थीगण को अनुपस्थित बताया गया है। वकील अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि आराजीयात ख0नं0 10/1/1 रकबा 5 बीघा पर कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में डिकी की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर विचाराधीन होना तथा उक्त अपील में स्थगन आदेश जारी होना अवगत कराते हुए स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 13.11.2017 में अंकित विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड को आज की मौजूदा स्थिति को माननीय

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के अन्य आदेश होने तक यथावत कायम रखने बाबत् अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2022 में अपीलान्ट को आराजी खसरा नं0 358/10 रकबा 7.00 बीघा किस्म गै0मु0 चरागाह पर (जिन्स कब्जा 2.00 बीघा, मकान व बाड 2.00 बीघा, सिंघाडा 3.00 बीघा कर) अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं होता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में अंकित ख0नं0 तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2022 में अंकित ख0नं0 मौके पर एक है अथवा भिन्न–भिन्न है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती है जिसमें सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा नायब तहसीलदार, खण्डार को उपरोक्त बिन्दुओं की पुनः नये सिरे से जांच करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/2/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर